पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

ई एनपीएस के इस्तेमाल से एनपीएस में
आॅनलाइन अभिदाता पंजीकरण और अंशदान

सूचना और संचार तकनीक के व्यापक इस्तेमाल के जरिये प्रशासन तंत्र के अंतिम सिरे तक ई प्रशासन सुविधा को बढ़ावा देने के माननीय प्रधानमंत्री के 'डिजीटल इंडिया' अभियान के अंतर्गत पीफआरडीए एनपीएस के विद्यमान, साथ ही साथ संभावित अभिदाताओं के लिए आॅन लाइन लेन-देन की सुविधाओं का विकास और परिचालन कर रहा है।

2.एनपीएस के नये अभिदाताओं, जो कि पहले से ही बैंकों के ग्राहक हैं उनके लिए पीएफआरडीए ने ई एनपीएस आॅनलाईन पोर्टल की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत पीएएन (स्थायी खाता संख्या) और बचत बैंक खाते को एनपीएस के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पीओपी के रूप में सक्रिय सहभागिता कर रहे बैंकों में केवाईसी के रूप में स्वीकार किया गया है।

3. पीएफआरडीए को संभावित अभिदाताओं और अन्य अंशधारियों की ओर से सुझाव प्राप्त हुए कि ऐसे अभिदाता जो कि एनपीएस में शामिल होने के लिए ई एनपीएस आॅनलाईन पोर्टल के उपयोग हेतु अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें इस ई एनपीएस सुविधा से वंचित न रखा जाये।

4. चूंकि ऐसे खाताधारकों की पहचान और पते को ई केवाईसी सुविधा के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड के जरिये अभिदाता की सहमति के साथ प्रमाणित किया जाता है और चूंकि आधार एक अद्वितीय संख्या है, अतः इसके केवाईसी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल से डुप्लीकेट सेवानिवृत्ति (PRAN) खातों के खुलने की संभावना समाप्त हो जाती है। पीएफआरडीए ने इस विषय पर पुनर्विचार किया और उसका मानना है कि ई एनपीएस प्लेटफार्म हेतु पैन और बैंक खाता

आधारित केवाईसी के अतिरिक्त ई आधार के इस्तेमाल से परिचालन में लगने वाले समय और धन में कमी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है जो कि पीएफआरडी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति में मददगार सिद्ध होगी।

5. एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं के आॅनलाइन पंजीकरण केे लिए केवाईसी दस्तावेज के रूप में पैन और बैंक खाता अथवा ई आधार को स्वीकृत करने के लिए पीएफआरडीए ने ई एनपीएस कार्यात्मकता में संशोधन किया है, ई एनपीएस के इस संशोधित प्लेटफार्म के परिचालन के अंतर्गत अभिदाताओं के पास खाता खुलनवाने के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:

क) किसी भी प्वाइंट आॅफ प्रजंेन्स-सेवाप्रदाता (पीओपी-एसपी) के माध्यम से खाता खुलवाना

ख) चुनिंदा बैंकों की नेट बैंकिंग और पैन के इस्तेमाल से आॅन लाईन खाता खुलवाना। इस मामले में केवाईसी प्रमाणिकरण बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक द्वारा केवाईसी प्रमाणीकरण के पश्चात ही प्रान सक्रिय होता है।

ख) आधार संख्या और यूआईडीएआई से प्राप्त ओटीपी के इस्तेमाल से आॅन लाइन खाता खुलवाना। इस मामले में, अभिदाताओं का प्रान तुरंत सृजित हो जाता है और वे अंशदान कर सकते हैं।

6. एनपीएस में शामिल होने के लिए ई एनपीएस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने वाले किसी भी संभावित अभिदाता के लिए केवाईसी प्रमाणीकरण एक विकल्प है और संभावित अभिदाताओ के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक और स्वैच्छिक है।

7. आधार कार्ड के इस्तेमाल के जरिये एनपीएस के अंतर्गत पंजीकरण हेतु संभावित अभिदाता को आधार के साथ पंजीकृत मोबाईल नम्बर सहित आधार संख्या/कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

8. इस आधार कार्ड आधारित केवाईसी प्रमाणीकरण के इस्तेमाल से अभिदाता एनपीएस खाता खोल सकने में समर्थ होगा। एनपीएस खाता खोलने के लिए संभावित अभिदाता को निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा:

- संभावित अभिदाता को एनपीएस न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in पर स्थित ई एनपीएस प्लेटफार्म पर जाना होगा और आधार संख्या प्रविष्ट करके उसे ओटीपी के इस्तेमाल से प्रमाणित करना होगा।
- पेंशन निधि का चुनाव, निवेश योजना, नामितिकरण इत्यादि जैसे अनिवार्य विवरणों को भरना होगा।
- आधार के साथ उपलब्ध विवरण में से पता और जन्म तिथि विवरण स्वतः भर जाएंगे।

- मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी अनिवार्यतः उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा ।
- हस्ताक्षर स्कैन करके अप-लोड करना होगा। यदि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो धंुधली अथवा अस्पष्ट हो और अभिदाता उसके स्थान पर दूसरी फोटो लगाना चाहता हो तो ऐसे मामले में वह स्कैन फोटो अप-लोड कर सकता है।
- उसे न्यूनतम आनलाइन भुगतान (न्यूनतम राशि रू.500/-) का भुगतान करना होगा।
- इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रान तुरंत ही सृजित हो जाएगा।

9. अभिदाता को प्रपत्र का प्रिन्ट लेकर, उस पर फोटो चिपका कर और हस्ताक्षर करके निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आॅन लाइन अंशदान जारी रखते हुए सीआरए के पास जमा करना होगा।

10. एनपीएस में शामिल होने और अंशदान करने के लिए संभावित अभिदाता एनपीएस न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in देख सकते हैं और एनपीएस आॅन लाइन मेन्यू का चुनाव कर सकते हैं।

11. ई एनपीएस से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पीफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in और साथ ही एनपीएस न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in पर भी उपलब्ध है।

ऐसी अपेक्षा है कि इस सुविधा के माध्यम से अभिदाता को प्वाइंट आॅफ प्रजेंस के पास जाने की जरूरत से मुक्ति जैसे कई लाभ प्राप्त होगें और निर्बाध प्रक्रिया का अनुभव होगा जहां वह इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कहीं से भी संव्यवहार की न्यूनतम लागत और मानवीय क्रियाकलापों के चलते होने वाली त्रृटियों में कमी के साथ पंजीकरण, अंशदान कर सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.02.2016